


FORM No. III

Crime-I
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर, मुकाम...खीवसर...
किरम मुकदमा...राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट
जेठाराम बनाम गंगाराम
मु. नं. 02/2021 सन् 2021

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 28.07.2021	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
----------	--	--

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 02.09.2021 को पेश हो।


सहायक कलक्टर
खीवसर

2/9/21

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत है अतः प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जाता है पक्षकारान दि. 21/10/21 को लोक अदालत में उपस्थित हो।


अध्यक्ष
लोक अदालत
खीवसर


21-10-21

उक्त प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021, केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में पेश हुआ। उपस्थित पक्षकारान को प्रकरण में राजीनामा करने हेतु समझाया गया। पक्षकारों के मध्य प्रकरण में राजीनामा हेतु सहमति नहीं हो पाई। अतः प्रकरण पुनः न्यायालय में दिनांक 22/10/21 को पेश हो।


पी.डी.ओ. अधिकारी
प्र. अ. के. अ. 2021
उप-अड अधिकारी
खीवसर


03/1/22

विद्वान अधिवक्ता - अ. अ. के. अ. 2021
के विरुद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया जाकर नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 02.09.2021 को पेश हो।

31/10/21

Identified by my
E-mail only

सेवा में

वीडू
03/02/22



श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मधोदय खीरमा।

शजर-व वाद संख्या 12021
वादी बनाम
जेठाराम

हारीख पेदी
केस नं० 12021
प्रतिवादीगण
गंगाराम कौराह

वाद अधीन धारा

पार्थना-पत्र वास्ते पत्रावली आक्र ही हारीख पेदी पर लेकर जरिये विद्वैवल खारिज करवाने।

मान्यवरजी, उपरोक्त झनवान में प्रार्थी का निम्न निवेदन है-

(1) यह है कि उपरोक्त झनवान हाजा न्यायालय में विचारणा के निमित्त है।
-वाल रहा जिलाकी हारीख पेदी दिनांक को निमित्त है।

(2) यह है कि पक्ष कारण के मध्य राजीनामा हो-युक्त है प्रार्थी/वादी अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए वाद को विद्वैवल करना चाहता है। पत्रावली को आक्र ही हारीख पेदी पर भिजा जाकर वाद जरिये विद्वैवल खारिज करवाना चाहता है।

(3) यह है कि वादी के वाद पुनः करने के लिए सुरक्षित रखा जाई।

अतः आवेदन पेश कर निवेदन है उपरोक्त पत्रावली को आक्र ही हारीख पेदी पर भिजा जाकर वादी/प्रार्थी के पुनः वाद पेश करने के लिए सुरक्षित रखते हुए वाद जरिये विद्वैवल खारिज करवाई।

इति दिनांक 28-12-2021

अनि जेठाराम